

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 57/2019

दायर दिनांक: 01/05/2019

उनवान

1. राजाराम आयु 43 वर्ष पुत्र बृजमोहन ।
2. दीनदयाल आयु 38 वर्ष पुत्र बृजमोहन ।
3. धर्मराज आयु 35 वर्ष पुत्र बृजमोहन ।
4. ललित किशोर आयु 31 वर्ष पुत्र बृजमोहन
5. राजेश बाई आयु 40 वर्ष पुत्री बृजमोहन जातियान गुर्जर निवासीगण मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

वादीगण

बनाम

1. बृजमोहन आयु 65 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज० ।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज० ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर ।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर ।

आदेश

दिनांक : 12/06/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 100 की कुल किता 1 का रकबा 0.40 है० व वाके ग्राम एवं माल भैसडा खाता संख्या 147 की कुल किता 2 का रकबा 2.25 है० व खाता संख्या 149 की कुल किता 1 का रकबा 1.23 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। व खाता संख्या 150 की कुल किता 1 का रकबा 1.99 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामिलती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी की पैत्रक सम्पत्ति है जो वादीगण के दादाजी मोतीलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता मोतीलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा

काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा खाता संख्या 100 की कुल किता 1 का रकबा 0.40 है0 व वाके ग्राम एवं माल भैसडा खाता संख्या 147 की कुल किता 2 का रकबा 2.25 है0 व खाता संख्या 149 की कुल किता 1 का रकबा 1.23 है0 हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है। व खाता संख्या 150 की कुल किता 1 का रकबा 1.99 है0 1/18, 1/18 बनता है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 28.02.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाया जावें। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0सी0सी0 नहीं बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने का वादीगण का अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 29.03.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमें हमे कोई आपत्ति नहीं है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल मायथा व भैसडा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 100 की कुल किता 1 का रकबा 0.40 है0 व वाके ग्राम एवं माल भैसडा खाता संख्या 147 की कुल किता 2 का रकबा

2.25 है0 व खाता संख्या 149 की कुल किता 1 का रकबा 1.23 है0 में हिस्सा 1/6, 1/6 का व खाता संख्या 150 की कुल किता 1 का रकबा 1.99 है0 में 1/18, 1/18 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी वाके माल मायथा तहसील अटरू की खाता संख्या 100 की कुल किता 1 की 0.40 है0 व वाके ग्राम माल भैसडा खाता संख्या 147 की कुल किता 2 की 2.25 है0 व खाता संख्या 149 की कुल किता 1 की 1.23 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, 1/6 बनता है। व खाता संख्या 150 की कुल किता 1 का 1.99 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा 1/18, 1/18 बनता है। जो प्रतिवादी की पैत्रक सम्पत्ति है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है। वादी क्रम 5 ने अपने हिस्से 1/6 व 1/18 का हकत्याग अपने सगे भाई वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 पिता के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। इसलिए ग्राम मायथा की खाता संख्या 100 व ग्राम भैसडा की खाता संख्या 147 व खाता संख्या 149 में वादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 व ग्राम भैसडा की खाता संख्या 150 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/15 बनता है। जिसमें हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी क्रम एक को कृषक खातेदार घोषित कर हिस्सा रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश किये गये राजीनामों को तस्दीक करने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चन्दालाल एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम मायथा की खाता संख्या 100 की कुल किता 1 रकबा 0.40 है0 व ग्राम भैसडा खाता संख्या 147 की कुल किता 2 की 2.25 है0 रहन एस.बी.आई व ग्राम भैसडा की खाता संख्या 149 की कुल किता 1 की 1.23 है0 एस.बी.आई. रहन तथा ग्राम भैसडा की खाता संख्या 150 की कुल किता 1 का 1.99 है0 हिस्सा 1/3 रहन एस.बी.आई. अटरू में दर्ज है। उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता मोतीलाल से प्राप्त हुई है। जो पैत्रक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। उक्त प्रकरण में

वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। आपसी सहमति से विवादित आराजी ग्राम मायथा की खाता संख्या 100 की कुल किता 1 रकबा 0.40 है0 व ग्राम भैसडा खाता संख्या 147 की कुल किता 2 की 2.25 है0 रहन एस.बी.आई व ग्राम भैसडा की खाता संख्या 149 की कुल किता 1 की 1.23 है0 एस.बी.आई. रहन में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/6-1/6$ का तथा ग्राम भैसडा की खाता संख्या 150 की कुल किता 1 का 1.99 है0 हिस्सा $1/3$ रहन एस.बी.आई. अटरू में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/18-1/18$ का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 5 का उपरोक्त आराजी में हिस्सा $1/6$ व $1/18$ का हक त्याग वादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में करने से खाता संख्या 100, 147, 149, में वादीगण क्रम 1 लगायत 4 का हिस्सा $1/5$ तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/5$ तथा खाता संख्या 150 में वादी क्रम 1 ल0 4 का हिस्सा $1/15$ तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा $1/15$ रहन का नोट दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू हक त्याग स्टाम्प शुल्क जमा करने की शर्त पर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इबादाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 57/2019

उनवान

1. राजाराम आयु 43 वर्ष पुत्र बृजमोहन।
2. दीनदयाल आयु 38 वर्ष पुत्र बृजमोहन।
3. धर्मराज आयु 35 वर्ष पुत्र बृजमोहन।
4. ललित किशोर आयु 31 वर्ष पुत्र बृजमोहन।
5. राजेश बाई आयु 40 वर्ष पुत्री बृजमोहन जातियान गुर्जर निवासीगण मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. बृजमोहन आयु 65 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मायथा की खाता संख्या 100 की कुल किता 1 रकबा 0.40 है0 व ग्राम भैसडा खाता संख्या 147 की कुल किता 2 की 2.25 है0 रहन एस.बी.आई व ग्राम भैसडा की खाता संख्या 149 की कुल किता 1 की 1.23 है0 एस.बी.आई. रहन में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6-1/6 का तथा ग्राम भैसडा की खाता संख्या 150 की कुल किता 1 का 1.99 है0 हिस्सा 1/3 रहन एस.बी.आई. अटरू में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/18-1/18 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 5 का उपरोक्त आराजी में हिस्सा 1/6 व 1/18 का हक त्याग वादीगण 1 लगायत 4 व प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में करने से खाता संख्या 100, 147, 149, में वादीगण क्रम 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 तथा खाता संख्या 150 में वादी क्रम 1 ल0 4 का हिस्सा 1/15 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/15 रहन का नोट दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू हक त्याग स्टाम्प शुल्क जमा करने की शर्त पर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.06.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

